myGOV
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(1/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- प्रवेश द्वार पर हाथ की स्वच्छता (सैनिटाइज़र डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए
- परिसर में केवल लक्षणविहीन व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए
- बिना फेस कवर/मास्क के व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों पर पोस्टर को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए
- कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों पर ऑडियो और वीडियो क्लिप नियमित रूप से चलाए जाएं
- यदि संभव हो तो आगंतुकों को क्रमबद्ध अलग-अलग जाने की व्यवस्था करें

my GOV
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(2/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- जूते-चप्पलों को अपने वाहन में उतार दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग स्लॉट में फुटवियर रखे जाने की व्यवस्था होनी चाहिए

- कतार का प्रबंधन और परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी पर विशिष्ट निशान लगाए जाने चाहिए

- परिसर के बाहर और भीतर स्थित दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि को हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा

- कतार का प्रबंधन और परिसर में उचित दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी विशिष्ट निशान लगाए जाने चाहिए

- आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग बनाए जाने चाहिए

मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(3/6)

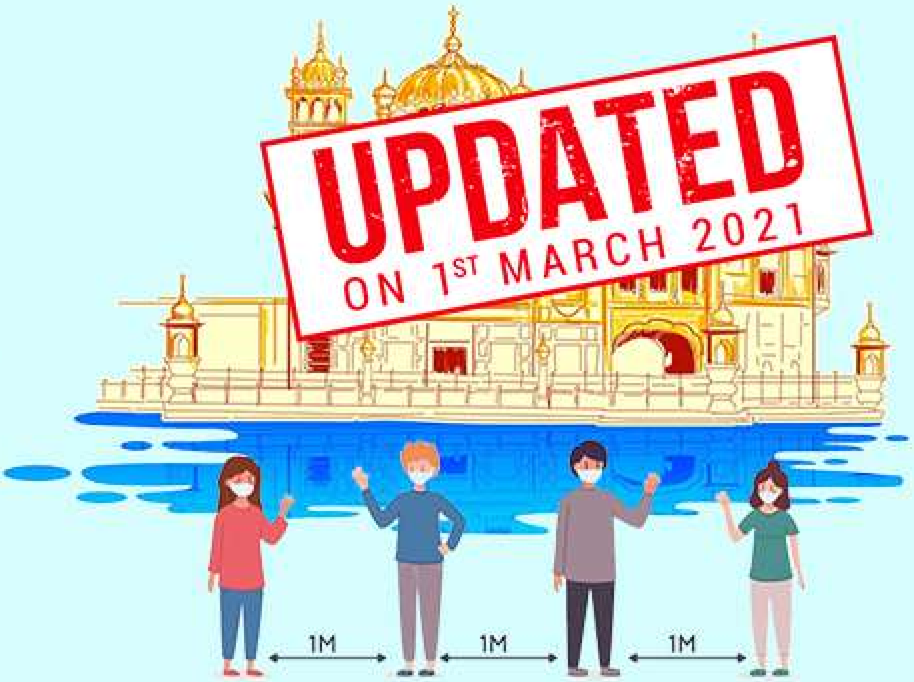

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- प्रवेश के लिए कतार में 6 फीट की न्यूनतम दूरी रखनी चाहिए
- परिसर में प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने हाथ और पैर साबुन व पानी से धो लेने चाहिए
- सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए
- एसी/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए- सभी एसी उपकरणों को 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में चलाय़ा जाना चाहिए। जितना संभव हो सके, ताजी हवा के साथ पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए
- संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के एसओपी के अनुसार सभा या समागम की अनुमति दी जाएगी

myGOV
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(4/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- मूर्तियों/मूर्तियों/पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- बड़ी सभाएं/समागम पर प्रतिबंध रहेगा
- संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर रिकॉर्ड किए गए भक्ति संगीत / गाने बजाए जा सकते हैं और गाना बजाने वालों / गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
- एक दूसरे को अभिवादन करते वक्त शारीरिक संपर्क से बचें
- सामान्य प्रार्थना मैट से बचना चाहिए और भक्तों को प्रार्थना के लिए अपनी खुद की चटाई या दरी लानी चाहिए और उसे वापस ले जाना चाहिए
- प्रसाद / वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि जैसे भौतिक प्रसाद के वितरण की अनुमति नहीं है

my GOV
मेरी सरकार

कोविड-19 की रोकथाम हेतु धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

(5/6)

धार्मिक स्थलों पर बचाव के उपाय होंगे सुनिश्चित

- सामुदायिक रसोई / लंगर इत्यादि के लिए भोजन तैयार करते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए
- परिसर के भीतर स्वच्छता का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, विशेष रूप से शौचालय, हाथ-पैर धोने वाले क्षेत्रों पर ध्यान ध्यान दिया जाना चाहिए
- धार्मिक स्थल के प्रबंधन द्वारा लगातार सफाई और फर्श के कीटाणुशोधन की व्यवस्था होनी चाहिए
- परिसर को दिन में कई बार साफ किया जाना चाहिए
- बचे हुए फेस कवर / मास्क / दस्ताने का उचित निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए
- आगंतुकों और/या कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल फेस कवर / मास्क / दस्ताने का उचित तरीके से निपटान कवर्ड डिब्बे में किया जाना चाहिए

my GOV
मेरी सरकार

धार्मिक स्थलों में कोविड-19 की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (6/6)

संक्रमित मामले की स्थिति में किए जाने वाले उपाय

- बीमार व्यक्ति* को उस कमरे या एरिया में रखें जो कार्यस्थल पर दूसरों से अलग-थलग हों

  *संभावित कोविड मरीज

- डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने तक उसे मास्क/फेस कवर प्रदान करें

- तत्काल नजदीकी चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को जानकारी दें या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन पर कॉल करें

- जन स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा जोखिम का आकलन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, मरीज के संपर्कों और संक्रमण दूर करने की आवश्यकता के संबंध में सलाह दी जाएगी

- यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए